फर्द अहकाम

नाम न्यायालय गौरा देवी बनाम नाथी वगै०
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

केस संख्या 82/2021

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	08/07/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस को सुना गया। अतः पत्रावली का अवलोकन करने व बहस को सुनने पर आपत्ति फरीकैन खारिज की जाती है। तथा वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मुताबिक फरीकैन के वाद की तकासीम हेतु निर्णय किया जाता है तथा वाद के बंटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल से फारिग हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

(Ⅴ3)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राज0
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
82/2021	12/07/2021	08/07/2025

1. गोमा देवी पत्नि स्व0 ग्यारसीलाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी जगमालपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. नांरगी देवी पत्नि प्रभाती लाल
2. प्रहलाद नारायण पुत्र ग्यारसीलाल
3. कैलाशनारायण दत्तक पुत्र जगदीश
4. सियाराम पुत्र ग्यारसीलाल
   समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम जगमालपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।
5. शारदा पुत्र ग्यारसीलाल पत्नि रमेशचन्द शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण हाल निवासी बडोली तहसील रावास जिला दौसा।
6. सरोज पुत्री ग्यारसीलाल पत्नि बाबूलाल शर्मा जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम धोली दूबली, तहसील बस्सी जिला जयपुर।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
8. उप पंजीयक जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री हिम्मतसिंह :– वकील वादी
श्री रमेश कुमार जाजोरिया :– वकील प्रतिवादी सं0 1
श्री धर्मवीर सिह राजावत :– वकील प्रतिवादी 2, 3, 5

दावा बाबत बटंवारा, स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णय :–

वादी की ओर से एड0 श्री हिम्मतसिंह ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 320 रकबा 1.3500है0 स्थित ग्राम जगमालपुरा, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। जिसे आगे उक्त वादपत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति कहा गया है। जिसका विधिक तकासमा नही कराया गया है। अतः उक्त वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति का सरस–नरस के अनुसार हक व हिस्से तथा कब्जा को मध्य नजर रखते हुये तकासमा कर वादी का राजस्व रिकार्ड व लगान अलग अलग कायम किया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 12.09.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार ~~आंधी~~ जमवारामगढ ने कुर्रेजात

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रिपोर्ट तैयार कर पेश की। जिसे शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता श्री रमेश कुमार जाजोरिया के प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया। जिस पर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी को दिनांक 05.12.2024 को आंशिक स्वीकार किया गया जो पत्रावली में आपत्ति कुर्रेजात पेश करने की अनुमति दी गई। वकील प्रतिवादी सं0 1 ने आपत्ति कुर्रेजात पेश की। जिस पर वकील प्रतिवादी सं0 1 ने आपत्ति कुर्रेजात पेश की। जिस पर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने व बहस का मनन करने पर आपत्ति कुर्रेजात खारिज की जाती है। वकील प्रतिवादी सं0 2, 3, 5 ने प्राप्त कुर्रेजात पर सहमति जाहिर की।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार आंधी ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम जगमालपुरा, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

–: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :–

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है0	किस्म	लगान
कैलाशनारायण पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/16, गोमा पत्नि स्व0 ग्यारसीलाल हि0 1/16 जाति हरि0 ब्राह्मण रहन सिडींकेट बैक शाखा बस्सी, नारंगी देवी पत्नि प्रभातीलाल हि0 1/2 जाति हरि0ब्रा0 सा0 देह रहन आरएमजीबी चावण्डिया, प्रहलाद नारायण पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/16, शारदा पुत्री ग्यारसीलाल हि0 1/16 रहन सिडींकेट बैक शाखा बूज, सियाराम पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/4 जाति हरि0 ब्रा0 सा0देह खातेदार।	320	1.35	बारानी 1	–
योग	किता 1	1.35	–	–

–: प्रस्तावित :–

सं0	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है0	किस्म	लगान
	गोमा पत्नि ग्यारसीलाल हि0 1/8 रहन सिडींकेट बैक शाखा बस्सी, प्रहलादनारायण पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/8, सियाराम पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/2 बिना रहन, शारदा पुत्री ग्यारसीलाल हि0 1/8 रहन सिडींकेट बैक शाखा बूज, कैलाशनारायण पुत्र ग्यारसीलाल हि0 1/8 जाति हरि0ब्रा0 सा0देह खातेदार।	320/2	0.675	बारानी 1	–
	योग	किता 1	0.675	–	–

(43)

	नांरगी देवी पत्नि प्रभातीलाल जाति हरि० ब्रा० सा०देह रहन आरएमजीबी शाखा चावण्डिया	320/1	0.675	बारानी 1	–
	योग	किता 1	0.675	–	–

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

Scanned with OKEN Scanner